

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 104/2022

(Bank Case)

“मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय— 1201 एवं 1202, 12th फ्लोर, लॉटस कॉरपोरेट पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई— 400063 तथा शाखा कार्यालय— 501, 5th फ्लोर, लुहाडिया टावर, अंहिसा सर्किल, सी—स्कीम, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री विरेन्द्र सिंह राठौड़
— प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. मदन लाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालाल कुमावत (ऋणी / बंधककर्ता)
पता— कुमावतों के मन्दिर के पास, कनवास तहसील— सांगोद, जिला— कोटा
2. हेमराज प्रजापति पुत्र श्री राधा किशन,
पता— कुमावतों के मन्दिर के पास, कनवास तहसील— सांगोद, जिला— कोटा,
(राज.) 325602
(सहऋणी)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002



उपस्थित

श्री अमर सिंह नरुका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 07-06-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी मुथुट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय— 1201 एवं 1202, 12th फ्लोर, लॉटस कॉरपोरेट पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव पूर्व, मुम्बई— 400063 तथा शाखा कार्यालय— 501, 5th फ्लोर, लुहाडिया टावर, अंहिसा सर्किल, सी—स्कीम, जयपुर से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 24.02.2017 एवं दिनांक 27.02.2017 को 14,00,303/- (अक्षरे: चौदह लाख तीन सौ तीन रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में यशोदा कुमावत पत्नी श्री मदनलाल कुमावत की अचल सम्पत्ति जोकि आवासीय मकान, खसरा नम्बर— 1327, ग्राम—कनवास, तहसील—सांगोद, कोटा (राजस्थान) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 946 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुःसीमाएं पूरब में— मदन लाल के गैराज के बाद गिरीराज वैष्णव का मकान, पश्चिम में— मदन लाल कुमावत की दुकाने, उत्तर में— भवानी शंकर वैष्णव का मकान, दक्षिण में— आम रास्ता 13 फीट के बाद सज्जन सिंह का मकान है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 11.11.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 15,54,290/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह लाख चौपन हजार दो सौ नब्बे मात्र) बकाया रकम दिनांक 31.12.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.12.2020 को रजिस्टर्ड डाक

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 06.03.2021 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बंधकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस अप्रार्थीगण को दिनांक 30.12.2020 को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 06.03.2021 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 30.12.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किये गये तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "प्रातःकाल" व अंग्रेजी में "दी इण्डियन एक्सप्रेस" में दिनांक 06.03.2021 को प्रकाशित करवाया गया, नोटिस प्राप्त के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की यशोदा कुमावत पत्नी श्री मदनलाल कुमावत की अचल सम्पत्ति जोकि आवासीय मकान, खसरा नम्बर- 1327, ग्राम-कनवास, तहसील-सांगोद, कोटा (राजस्थान) में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 946 वर्गफीट हैं, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में- मदन लाल के गैराज के बाद गिरीराज वैष्णव का मकान, पश्चिम में- मदन लाल कुमावत की दुकाने, उत्तर में- भवानी शंकर वैष्णव का मकान, दक्षिण में- आम रास्ता 13 फीट के बाद सज्जन सिंह का मकान है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित न कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 07-06-2022 को सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

